127

समक्ष - माननीय मध्यप्रदेश राजस्व मंण्डल ग्वालियर बेंच रीवा, म०प्र०

निगरानी 1695-II-15

श्री रमाकांत पटेल एड० द्वारा
पेश / 29.4.15

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

जगन्नाथ पटेल तनय हीरामणि पटेल सा० तेलिहा मह्तमान तह० हनुमना जिला रीवा, म०प्र० --- निगरानीकर्ता/आवेदक

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 17.2.16 के तहत संशोधन समाविष्ट किया गया
17-2-16

बनाम

हरीशंकर तनय ईश्वरदीन पटेल

(ईश्वरदीन पटेल तनय हीरामणि पटेल) निवासी पांती मह्तमान हाल मुकाम तेलिहा मह्तमान तह० हनुमना जिला रीवा, म०प्र० - गैरनिगरानीकर्ता/अना०

118
29.4.15

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार वृत्त खटखरी तह० हनुमना के प्र०क्र० ।ए।2/14-15 पारित आदेश दिनांक 10-3-15

क्रमांक 5429
रजिस्टर्ड पो... आज
दिनांक ... प्राप्त
26-5-15
राजस्व म... ग्वालियर

= =

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

= =

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न है-

1:- यह कि प्रकरण मे आवेदक एंव अनावेदक आपस मे सगे भाई है जिनका आपसी पुस्तो बटवारा पूर्व मे हो चुका है एवं हिस्से मे प्राप्त भूमियो मे काबिज है। अनावेदक ईश्वरदीन द्वारा अपने हिस्से मे प्राप्त भूमियो के सीमांकन बावत आवेदन पत्र तहसीलदार हनुमना वृत्त खटखरी के समक्ष पेश किये जाने पर तहसीलदार वृत्त खटखरी के निर्देशानुसार राजस्व निरीक्षक मंण्डल खटखरी द्वारा अनावेदक की भूमियो का एक पर्जी सीमांकन किया गया तथा उसकी पुष्टि भी तहसीलदार वृत्त खटखरी द्वारा कर दी गई। उक्त सीमांकन मे आवेदक जो कि अनावेदक का सगा भाई है उसे किसी प्रकार की कोई सूचना सम्मन या अन्य प्रकार से जानकारी नहीं दी गई यहां तक कि मौके पर भी कोई सीमांकन नहीं किया गया किन्तु पारित आदेश अनुसार सीमांकन पुष्टि से आवेदक की भूमियां अनावेदक अपनी भूमियां बता रहा है। चूंकि उक्त आदेश आवेदक की बगैर जानकारी

क्रमशः 2....

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1695-II/15 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9--3–2016	मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया. निगरानी मेमो में लिखा है कि आवेदक और मूल अनावेदक इश्वर सगे भाई थे, दोनों की भूमियाँ संलग्न हैं, किन्तु मूल अनावेदक ने अपनी भूमि का सीमांकन बगैर आवेदक को सूचना या जानकारी दिए करा कर आवेदक का बेजा कब्ज़ा बता दिया जो की गलत है. तर्क में आवेदक अधिवक्ता ने कहा कि ३६/१ख/१ और ३३/२ख/१ अनावेदक के हैं और ३६/१ख/२ और ३३/२ख/२ आवेदक के. सीमांकन में आवेदक की भूमि अनावेदक की भूमि में सम्मिलित कर बता दी गई है. तर्क में आवेदक अधिवक्ता ने दि ३०-५-१५ के ट्रेस नक़्शे की ओर ध्यान आकृष्ट कर यह कहा कि जिन बटांकों का सीमांकन पुष्ट किया गया है उनकी नक़्शे पर तरमीम अभि है ही नहीं, तो फिर सीमांकन किया जाना गलत है. तर्कों के प्रकाश में अभिलेख का परीक्षण करने से यह स्पष्ट है कि दि ३०-५-१५ के ट्रेस नक़्शे में स नं ३६/१ख के बटांक १ और २ तथा ३३/२ख के बटांक १ और २ की तर्मीमें नहीं हुई हैं. किन्तु तहसील के प्रकरण की आदेश पत्रिका दि १०-३-१५ में यह स्पष्ट लिखा है कि अनावेदक की ओर से ३३/२ख/१ और ३६/१ख/१ के सीमांकन का आवेदन किया गया है, अर्थात् सीमांकन आदेश दि १०-३-१५ के बाद की स्थिति में दि ३०-५-१५ को भी नक़्शे पर उक्त बटांकों की तर्मीमें अवलोकनीय नहीं हैं. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बगैर तरमीम के सीमांकन मान्य किये जाने योग्य नहीं है. अतः, मैं आक्षेपित सीमांकन आदेश दि १०-३-१५ एतदद्वारा निरस्त करता हूँ. साथ ही, तहसीलदार, हनुमना को यह निर्देश देता हूँ कि वे पहले उभयपक्ष एवं समस्त हितबद्ध पक्षकारों, सरहद्दी कृषकों आदि को सूचना, सुनवाई आदि का अवसर देते हुए विधिवत सम्बंधित बटांकों का नक़्शे पर तरमीम करें, जो करने में वे बटवारे से सम्बंधित तथ्यों,	

अभिलेखों आदि को भी देखते हुए आवश्यक विधिक प्रक्रिया का पालन करें. ऐसा कर लेने के बाद ही वे अनावेदक पक्ष की ओर से किये गए सीमांकन आवेदन पर विधिवत विचार कर, विहित विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए, उस पर योग्य कार्यवाही करें.

इन्ही निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है.
आदेश पारित.
पक्षकार एवं तहसीलदार, हनुमना सूचित हों.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य